

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/2134 /

जबलपुर, दिनांक 26/06/2020

IV-12-14/80 Pt- VII-P

श्री अभिषेक कुमार पाण्डेय, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को स्वयं के लिखित आवेदन पर दिनांक 01.03.2020 से वसूली की कार्यवाही करते हुए गृह भाड़ा भत्ता बंद किया जाता है।

सही/-
(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

क्रमांक B/2135 /


जबलपुर, दिनांक 26/06/2020

IV-12-14/80 Pt- VII-P

प्रतिलिपि :-

चीफ़ रिजिस्ट्रार एनालिस्ट

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
2. असि. रजिस्ट्रार (स्थापना), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
3. अनुभवा अधिकारी लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर को इस निर्देश के साथ की दिनांक 01.03.2020 से गृह भाड़ा भत्ता बंद करते हुए नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावे।
5. सहायक अवकाश/सेवापुस्तिका, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
6. दो अतिरिक्त प्रति ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
7. श्री अभिषेक कुमार पाण्डेय, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


23.06.2020

(किशोर पिठवे)
ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) (पी)

::-::

//A.L.//